2025/454

खारीज
28.7.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

आयुष कुमार बनाम पूर्णाराम आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 105 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.06.2025	प्रार्थी आयुषकुमार की तरफ से वकील श्री करणीसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा कल्लासर के ख.नं. 11, 150, 169, 197, 198, 199, 200, 202, 222, 225, 270, 271, 351, 390, 391, 449/2 की 57.224 है. भूमि में से अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 23.07.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
23.7.2025	वकील प्रार्थी/अप्रार्थीगण/PO मय अहकाम तामील हो। पत्रावली दरकार. दिनांक 28.7.2025 को पेश हो	
28.7.2025	वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं, मौजूदा स्थिति में खारीज करवाना चाहते हैं। प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारीज किया जाता है। [illegible] जाकर कार्य तरमीम [illegible] दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	आगे नहीं चलाना चाहता Aayush Kumar

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.31 16:47:43 IST
Reason: SelfAttested